पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

शिलांग, 16 मार्च, 2004

सा. का. नि. 249.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)(वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 1984, पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I भर्ती नियम, 1989, पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग (वर्ग "ग" और वर्ग "घ" पद) भर्ती नियम, 1983, जहां तक वे टेक्निशियन और ट्रेसर और पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग (वर्ग "ग" और वर्ग "घ" पद) भर्ती नियम, 1983, तथा जहां तक वे डिस्पैच राइडर के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रमण करते हुए, अन्यथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छोड़ी गई बातों के सिवाय, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग में वर्ग "ग" पदों पर विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग (वर्ग ''ग'' पद) भर्ती नियम, 2004 कहा जा सकेगा ।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना. ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—डक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों से जुड़ी भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हता तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 5. निरर्हता.—कोई.भी व्यक्ति,—
 - (क) जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो जिसकी पत्नी/पित जीवित हों, या
- (ख) जिस पुरुष/महिला ने पत्नी/पति के जीवित होते हुए भी विवाह किया हो, वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यह और कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्ति तथा विवाह करने वाले दूसरे पक्ष की स्वीय विधि के तहत अनुजेय हो तथा वैसा करने के अन्य आधार भी हों, तो इस नियम के लागू होने से किसी को छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्र सरकार समझती है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां ऐसे कारणों से, जिन्हें लिपिबद्ध किया जा सके, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकती है।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से, समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सेलेक्शन या गैर-सेलेक्शन पद
1	2	3 /	4	5
1. टेक्निशियन	1*(एक) (2004) *कार्यभार के	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग ''ग''	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं
	आधार पर संख्या में अंतर आ सकता है।	(अराजपत्रित)		

सीधी भर्ती से आने वालों के लिए आयु सीमा	क्यां अतिरिक्त वर्षों के सेवा लाभ, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय हैं	सीधी भर्ती से आने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7	8
18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष के लिए शिथिलनीय)	लागू नहीं	 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट/सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट या समकक्ष उर्त्तीर्ण किया हो।
नोट: — सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा निश्चित करने की अंतिम ताग्रेख भारत में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम ताग्रिख होगी (संघ ग्रज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समृह		 प्रोजेक्टर/ऑडियो-विजुअल उपकरण/पब्लिव एड्रेस सिस्टम/टेप रिकार्डर चलाने का ज्ञा हो।
और लक्षद्वीप में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के		 फोटो कॉपिअर मशीन चलाने/मरम्मत करने का ज्ञान हो।
लिए वह तारीख अंतिम तारीख मानी जाएगी जब तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया हो।		 हल्के मोटर वाहनों को चलाने का अनुभव अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।

क्या सीधी भर्ती से आने वालों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं	2 (दो वर्ष)	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत

	मावेशन द्वारा भर्ती के मामले ति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन	यदि कोई विभागीय प्रो तो इसके संघटन क्या		वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जाती है
12		13		14
लागू नहीं		(स्थायीकरण पर वि निम्निलिखित शामिल 1. उप सचिव/निदेश पूर्वोत्तर परिषद् 2. सहायक सचिव,	होंगे :— ाक, —अध्यक्ष पूर्वोत्तर परिषद् —सदस्य ह (स्टाफ/स्थापना) ह कार्यालय,	लागू नहीं ।
1	2	2		
2. ट्रेसर	2 1(एक)* (2004) *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है।	3 सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' (अराजपत्रित)	4 3200-85-4900 रु.	5 लागू नहीं
	6	7	8	*
सीधी भर्ती के लिए आयु तारीख होगी (संघ र द्वीप समूह और ल करने की तारीख को र रोजगार कार्यालयों के म तारीख अंतिम तारीख	ा उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष) -सीमा निश्चित करने की अंतिम राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार क्षद्वीप में आवेदन-पत्र प्राप्त छोड़कर) नाध्यम से नियुक्ति के लिए वह मानी जाएगी जब तक रोजगार	लागू नहीं	अनिवार्य : मैट्रिक या समकक्ष परी वांछनीय : ट्रेसर के रू का अनुभव	
9	10		11	
लागू नहीं	2 (दो वर्ष)		सीधी भर्ती द्वारा । ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुदि	ऋत/आमेलन द्वारा।
12		13		14
भारत सरकार के तहत ट्रेसर के पद पर नियुक्त अधिकारी या समकक्ष (आमतौर पर प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)		विभागीय प्रोन्ति स	गक, —अध्यक्ष पूर्वोत्तर परिषद् —सदस्य ७ (स्थापना) ठा कार्यालय,	लागू नहीं।

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राज	नपत्र : जुलाई 31, 2004/श्रा	वण 9, 1926	156
1	2	3	4	5
ь. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I	2(दो)* (2004) *कार्यभार के	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग'	4500-125-7000 रु०	लागू नहीं
	आधार पर संख्या में	अराजपत्रित		
	परिवर्तन आ सकता है।	गैर-लिपिक वर्गीय		
. 6		7 लागू नहीं	8 लागू नहीं	
लागू नहीं		લાનું નહા	cu L'igi	
9	10		11	
लागू नहीं	लागू न	हीं प्रो ऐः	न्नति द्वारा । सा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/अ	ामेलन द्वारा।
12		13	3	14
The second secon	चिवालय में 10 (दस) वर्षों		समिति में (स्थायीकरण	लागू नहीं।
	ग्रेड के नियमित ट्रेसरों में से		त लिए) निम्नलिखित	
प्रतिनियुक्ति/आमेलन:	Act think but a co	से मिलकर बनेगी		
	ाज्य क्षेत्र सरकारों में सदृश	1. उप सचिव/निरं		
	धारण किए या रु० ४०००-	ा. उन सायपानि पूर्वोत्तर परिषद्		
	ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित	~	क (स्टाफ/स्थापना)	
	ग्रंड में उपप का गियानत ों में से (प्रतिनियुक्ति की	्र. सहायका गायूर महा डाकपाल		
अवधि आमतौर पर तीन वष्		पूर्वोत्तर सर्कल		
	पहले उसी या केन्द्रं सरकार	3. सहायक निदेश		
के किसी अन्य संगठन/वि		अनुसूचित जार्		
पद पर प्रतिनियुक्ति की		जनजाति	जारुपूर नेपा —सदस्य	
यद यर त्रातानपुष्यत का	जवाय ना सामित लागा)	9/ (9///)		
1	2	3	4	5
4. जूनियर इंजीनियर	1(एक)* (2004)	सामान्य केन्द्रीय सेवा	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं
(इलैक्ट्रिकल)	*कार्यभार के	वर्ग 'ग'		
	आधार पर संख्या में	(अराजपत्रित)		
	परिवर्तन आ सकता है।	गैर-लिपिक वर्गीय		
6		7	8	
 18-25 वर्ष से अधिक नहीं		लागू नहीं	अनिवार्य :	
	।-समय पर जारी अनुदेशों	61.7.161	आई०टी०आई० या केन्द्र	मरकार से मान्यतापाप
	वारियों के मामले में 35 वर्ष		अन्य संस्थान से इलैक्ट्रिक	
तक शिथिलनीय)	यारिया का नानरा न ३३ वर		डिप्लोमा।	100
	आयु-सीमा निश्चित करने की		वांछनीय :	
	आथु-सामा ।नाश्चत करन का दन प्राप्त करने की अंतिम तारीख		वाछनायः न्यूनतम् 1 वर्षे का अनुभ	ਰ।
	दन प्राप्त करन का आतम ताराख मान और निकोबार द्वीप समृह		्राति । यस सम्राजीन	
	मान आर ानकाबार द्वाप समूह त्र प्राप्त करने की तारीख को			
	त्र प्राप्त करन का ताराख का यों के माध्यम से नियुक्ति के			
	या के माध्यम स नियुक्ति के ारीख मानी जाएगी जब तक			
राजगार कायालया का नाम	भेजने के लिए कहा गया हो।			

9	10			11	
लागू नहीं	2 (दो व	d)	सीधी भर्ती द्वारा		
			ऐसा न हो सकने	पर प्रतिनियुक्ति/आर	नेलन द्वारा।
				As a bridge	
12			13		14
केन्द्र सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, सदृश पदधारी अधिकारियों में के वेतनमान में या समकक्ष कर चुके अधिकारियों में से या केन्द्र सरकार से मान्य होना चाहिए (आमतौर पर प्र तीन वर्ष से अधिक नहीं होग	से या 4000-6000 रु० पद पर 5 वर्ष की सेवा । उन्हें आई०टी०आई० ताप्राप्त डिप्लोमाधारी प्रतिनियुक्ति की अवधि	पर विच से मिलव 1. उप पूर्वो 2. सहा अनु जन 3. सहा महा	प्रोन्नित समिति में (स् गर करने के लिए) निम् गर बनेगी:— सचिव/निदेशक, त्तर परिषद् यक निदेशक, सूचित जाति/अनुसूचित जाति, शिलांग यक निदेशक, (स्टाफ/स्थ डाकपाल का कार्यालय, त्तर सर्कल, शिलांग	निलखित —अध्यक्ष —सदस्य	लागू नहीं।
5. डिस्पैच राइडर		सामान्य केन्द्रीय र वर्ग 'ग'	नेवा 3050-75-4	590 হ০	गगू नहीं
5. डिस्पैच राइडर	*कार्यभार के		तेवा 3050-75-4 -	590 रू० - ल	गगू नहीं
 डिस्पैच राइडर 6 	*कार्यभार के आधार पर संख्या में	वर्ग 'ग'	नेवा 3050-75-4	590 रू०	तागू नहीं
6	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है।	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7		8	गगू नहीं -
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है।	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित)	अनिव	8 त्रार्य :	
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-र	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7	अ निव 1.	8 त्रार्य : हल्के मोटर वाहन च	
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7	अ निव 1.	8 त्रार्थ : हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए।	ालन का वैध लाइसे
6 18–25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय–र के अनुसार सरकारी कर्मचा तक शिथिलनीय)	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं	अनिव 1.	8 ग्रार्थ : हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की	ालन का वैध लाइस
6 18–25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय–र के अनुसार सरकारी कर्मचा तक शिथिलनीय) नोट: —सीधी भर्ती के लिए	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं	अनिव 1.	8 वार्य : हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए।	ालन का वैध लाइस
6 18–25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय–र के अनुसार सरकारी कर्मचा तक शिथिलनीय) नोट:—सीधी भर्ती के लिए अंतिम तारीख भारत में आदे	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष आयु-सीमा निश्चित करने की	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं	अनित 1. 2. वांछ-	8 इल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए। नीय:	ालन का वैध लाइ र बनावट का प्रारंभिक
6 18–25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय–र के अनुसार सरकारी कर्मचा तक शिथिलनीय) नोट:—सीधी भर्ती के लिए अंतिम तारीख भारत में आवे तारीख होगी (संघ राज्य 8	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष आयु-सीमा निश्चित करने की वेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम् क्षेत्र अंडमान और निकोबार	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं इं	अनिव 1. 2. वांछ• 3.	8 हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए। नीय: एस०एल०सी० या सग	ालन का वैध लाइसं बनावट का प्रारंभिक सकक्ष और मोटर कार
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-र के अनुसार सरकारी कर्मचा तक शिथिलनीय) नोट:—सीधी भर्ती के लिए अंतिम तारीख भारत में आवे तारीख होगी (संघ राज्य क्ष समूह और लक्षद्वीप में आवे	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष आयु-सीमा निश्चित करने की	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं द्वीप	अनिव 1. 2. वांछ• 3.	8 इल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए। नीय:	ालन का वैध लाइसं बनावट का प्रारंभिक सकक्ष और मोटर कार
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-र के अनुसार सरकारी कर्मचातिक शिथिलनीय) नोट:—सीधी भर्ती के लिए अ अंतिम तारीख भारत में आवे तारीख होगी (संघ राज्य ध समूह और लक्षद्वीप में आवे को छोड़कर रोजगार कार्याल	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष आयु-सीमा निश्चित करने की अंतिम् क्षेत्र अंडमान और निकोबार । दन-पत्र प्राप्त करने की तारीख	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं व द्वीप	अनिव 1. 2. वांछ• 3.	8 हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए। नीय: एस०एल०सी० या सग	ालन का वैध लाइर बनावट का प्रारंभिक सकक्ष और मोटर कार
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-र के अनुसार सरकारी कर्मचार् तक शिथिलनीय) मोट:—सीधी भर्ती के लिए अंतिम तारीख भारत में आवे तारीख होगी (संघ राज्य ध समूह और लक्षद्वीप में आवे को छोड़कर रोजगार कार्याल	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष आयु–सीमा निश्चित करने की वेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम् क्षेत्र अंडमान और निकोबार । विन-पत्र प्राप्त करने की तारीख	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं व द्वीप	अनिव 1. 2. वांछ• 3.	8 हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए। नीय: एस०एल०सी० या सग	ालन का वैध लाइर बनावट का प्रारंभिक सकक्ष और मोटर कार
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-र के अनुसार सरकारी कर्मचार् तक शिथिलनीय) मोट:—सीधी भर्ती के लिए अंतिम तारीख भारत में आवे तारीख होगी (संघ राज्य ध समूह और लक्षद्वीप में आवे को छोड़कर रोजगार कार्याल	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष आयु–सीमा निश्चित करने की अंतिम् क्षेत्र अंडमान और निकोबार होदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख त्यों के माध्यम से नियुक्ति के तारीख	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं व द्वीप	अनिव 1. 2. वांछ• 3.	8 हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए। नीय: एस०एल०सी० या सग	ालन का वैध लाइर बनावट का प्रारंभिक सकक्ष और मोटर कार
6 18-25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-र के अनुसार सरकारी कर्मचार् तक शिथिलनीय) मोट:—सीधी भर्ती के लिए अंतिम तारीख भारत में आवे तारीख होगी (संघ राज्य ध समूह और लक्षद्वीप में आवे को छोड़कर रोजगार कार्याल	*कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन आ सकता है। समय पर जारी अनुदेशों रियों के मामले में 35 वर्ष आयु–सीमा निश्चित करने की अंतिम् क्षेत्र अंडमान और निकोबार होदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख त्यों के माध्यम से नियुक्ति के तारीख	वर्ग 'ग' (अराजपत्रित) 7 लागू नहीं व द्वीप	अनिव 1. 2. वांछ• 3.	8 हल्के मोटर वाहन च धारक होना चाहिए। मोटर साइकिल की ज्ञान होना चाहिए। नीय: एस०एल०सी० या सग	ालन का वैध लाइर बनावट का प्रारंभिक सकक्ष और मोटर कार

12	3	14
कालम 8 में निर्धारित अर्हताएं पूरी करने वाले वर्ग 'घ' स्टाफ से समान ग्रेड से (प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	विभागीय प्रोन्नित समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. उप सचिव/निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद —अध् 4. सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति शिलांग —स	radounid Administration of the state of the
Not applicable Not applicable Well-subjective for Coverance Services by five vests to the coverance with the	 सहायक निदेशक, (स्थापना) महा डाकपाल का कार्यालय, शिलांग — संव 	इस्य

[फा. सं. एन.ई.सी./ए.डी.एम./24/2002(जे.आर.)] आर. माथुर, उप सचिव

पाद टिप्पण: गृह मंत्रालय की

दिनांक 29-08-83 की अधिसूचना संख्या-III 14029/16/78/एन.ई. II दिनांक 26-11-83 की अधिसूचना संख्या-III 14028/7/79/एन.ई. II दिनांक 26-10-84 की अधिसूचना संख्या 5/5/78/एन.ई. II दिनांक 22-09-87 की अधिसूचना संख्या 5/17/85/एन.ई. II दिनांक 21-04-89 की अधिसूचना संख्या 14029/16/78/एन.ई. II के अधिक्रमण में

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 16th March, 2004

G.S.R. 249.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong Junior Engineer (Electrical) (Group 'C' post), Recruitment Rules, 1984, the North Eastern Council Secretariat, Shillong Draftsman Grade I Recruitment Rules, 1989, North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the posts of Technician and Tracer, and the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the posts of Despatch Rider, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2004.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of posts, classification and scale of Pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Technician	1* (One) 2004 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted,	Rs. 4000-100- 6000	Not applicable	Not exceeding 18–25 years (relaxable for Government servants by five years in accordance with the insturctions issued by the Central Government).
			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		Note: The crucial date for determining the age limit for Direct Recruitment shall be the closing date for receipt of applications in India (Other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.
Whether bene added years service admi under Rule 30 of Central Civil Sof (Pension) Rules	of qualification of the ervice	ntional and oth acations required f recruits	or qualifica	age and educational tions prescribed for uits will apply in the omotees	
7		8		9	10
Not applicable	Schoo ondar or equ	ssed Higher Second of Leaving Certificate y School Leaving Cert nivalent recognised ersity/Board.	/Sec- ificate	pplicable	2 (two) years
	Proje	aving knowlege in hand ctor/Audio Visual A c Address System/T der.	ids/		
	3. Ha ration machi	aving knowledge in o n/repair of photocopine.	pe- pier		
	Vehic	otor Car Driv ience for Light Mo cle will be considere onal qualification	otor		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which the Union Publicb Service Commission is to to consulted in making recruitment

11 12 13 14 By direct recruitment Not applicable Composition of Departmental Not applicable 100% Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Secretary -Chairman Director, North Eastern Council 2. Assistant Secretary -Member North Eastern Council 3. Assistant Director -Member (Staff/Accounts) Office of the Post Master General. Shillong

1 2 3 4 5 6 2. Tracer 1* (One) 2004 General Central Rs. 3200-85-Not applicable 18-25 years (35 years for *Subject to Service, Group 'C' 4900 departmental candidates). variation (Non-Gazetted) Note: The crucial date for dependent determining the age limit for on workload. Direct Recruitment shall be the closing date for receipt of applications in India (Other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.

By direct recruitment failing which by deputation/absorption 1 2 3. Draftsman 2*(Two) 2 *Subject t variation dependent on worklow 7 Not applicable 11 By promotion failing	Officers under the Govt. of India holding the post of Tracer or equivalent. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)	(for confirmation) consisting of: 1. Deputy Secretary/ —Chairm Director, North Eastern Council 2. Assistant Secretary, —Memb North Eastern Council 3. Assistant Director —Memb (Establishment) Office of the Post Master General,	er
3. Draftsman Gr. I Subject t variation dependen on worklo. 7 Not applicable		Shillong	
3. Draftsman Gr. I *Subject t variation dependen on worklo. 7 Not applicable			
Gr. I *Subject t variation dependent on worklow 7 Not applicable	3	4 5	6
Not applicable	to Service, Group 'C' 70 (Non-Gazetted) t Non-Ministerial	s. 4500-125- Not applicable	Not applicable
11	8	, 9	10
	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	12	13	
which by deputation/absorption	Promotion: From among regular Tracer in the North Eastern Council Secretariat with 10 (ten) years' regular service in the grade. Deputation/absorption: Officers under the Central or State or Union Territories Government holding analogous post or post in the lower grade, in the same grade in the scale of Rs. 4000-6000 with five years' regular service in the grade. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting 1. Deputy Secretary/ —Chairma Director, North Eastern Council 2. Assistant Director —Member (Staff/Establishment), Office of the Post Master General, North Eastern Circle, Shillong. 3. Assistant Director —Member Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, Shillong.	of:— applicable

2 3 4 5 6 4. Junior 1* (One) 2004 General Central Rs. 4500-125-Not applicable Not exceeding 18-25 years Engineer *Subject to Services, Group 'C' 7000 (Relaxable upto 35 years (Electrical) variation (Non-Gazetted) for Government servants dependent Non-Ministerial in accordance to the on workload insturctions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit for Direct Recruitment shall be the closing date for receipt of applications in India (other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.

- /	- 8	9	10
Not applicable	Essential: Degree/Diploma in Electrical Engineering, Diploma should be from ITI	Not applicable	2 (two) years
	or other Institutes recognised by the Central Government.		
	Desirable: At least one year's experience.		

11 12 13 14 By direct recruitment failing Deputation/absorption from Departmental Promotion Committee Not which by deputation/ officers under the Central (for considering confirmation) consisting of:applicable absorption Government/Union Territory/ 1. Deputy Secretary/ —Chairman State Government holding Director, North analogous posts or 5 years Eastern Council service in the post in the 2. Assistant Director — Member scale of Rs. 4000-6000 or Scheduled Castes/ equivalent. They should Scheduled Tribe. possess at least Diploma in Shillong Electrical Engineering from 3. Assistant Director -Member ITI or any other Institute (Staff/Establishment), recognised by the Central Office of the Post Government (Period of Master General, deputation ordinarily not North Eastern Circle, to exceed three years) Shillong

	TIMO	TEOLINDIA.J	JL 1 31, 2004/	SKA VANA 9, 1926	[Part II—Sec. 3(i)
1	2	3	4	5	6
5. Despatch Rider	1* (One) 2004 *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted)	Rs. 3050-75 3950-80- 4590	- Not applicable	for Government Servant upto 35 years in accordance with the instruction of orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit for Direct Recruitment shall be the closing date for receip of applications in India (other than those in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). The crucial date for appointment through Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.
7		8	-	9	10
Not applicable	Moto (2) Pr	ntial: ossession of a valid lice r Vehicle driving. eliminary knowledge of anism.		Not applicable	Two years
	Desir	able:			
	(3) SS motor	SLC or equivalent and e car/motor cycle drivin	xperience in g.		
11		12		13	
Direct recruitment or despression or despression	eputation	Promotion from Group staff fulfilling qualified laid down against column Deputation/absorption equivalent grade. (P of deputation shall ordinate exceed three years)	ations (for mn 8. confrom 1. eriod inarily	partmental Promotion r promotion/confirmat sisting of :— Deputy Secretary/ Director, North Eastern Council	Committee Not applicable ion) —Chairman —Member —Member

Shillong

[F. No. NEC/ADM/24/2002(JR)] R. MATHUR, Dy. Secy.

Foot Note: In supersession of MHA's Notification No. III. 14029/16/78-NE. II dt. 29-8-83

No. III. 14029/16/78-NE. II dt. 29-8-83, No. III. 14028/7/79-NE. II dt. 26-11-83, No. 5/5/84-NE. II dt. 26-10-84,

No. 5/3/84-NE. II dt. 26-10-84, No. 5/17/85-NE. II dt. 22-9-1987, No. 14029/16/78-NE. II dt. 21-4-89.